भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **313**
मंगलवार, 15 सितंबर, **2020/24** भाद्रपद, **1942** (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों का जाना

313. डा. अमर पटनायक:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन लोगों की संख्या का आकलन है, जिन्होंने मार्च, 2020 से जुलाई, 2020 तक कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां खोई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरी क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार कोविड-19 के कारण पर्यटन क्षेत्र में गई नौकरियों के कारण उत्पन्न संघर्ष को कम करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव और रोजगार की क्षति के आकलन के लिए कोई औपचारिक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है । तथापि उद्योग जगत के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा विचार-मंथन सत्र के अनेक दौर आयोजित किए जाने के बाद राजस्व, विदेशी मुद्रा तथा नौकरियों के व्यापक रूप से नुकसान का संकेत मिलता है । इस क्षेत्र के अत्यधिक असंगठित स्वरूप के मद्देनजर आंकड़ों के रूप में प्रभाव का आकलन समुचित समय पर ही किया जा सकेगा ।

(ग): भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज अनुबंध I में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र में कोविड-**19** महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए उठाए गए अन्य कदम अनुबंध II में दिए गए हैं ।

*****

अनुबंध I

कोविड-19 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों के जाने के संबंध में दिनांक 15.09.2020 के राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. **313** के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों तथा मंत्रालयों द्वारा घोषित पैकेज निम्नानुसार हैं :

- आरबीआई ने आवधिक ऋणों पर स्थगन **31** अगस्त, **2020** तक के लिए बढ़ा दिया है **I**
- सरकार ने इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया गया है **I** इस ऋण की अवधि **4** वर्ष होगी तथा **12** माह की स्थगन अवधि होगी **I**
- सरकार ने उन संगठनों के लिए तीन महीने के लिए भविष्यनिधि योगदान में छूट दी है जिनके पास **100** से कम कामगार है तथा उनमे से **90%** कर्मचारियो के वेतन **15000** रुपए से कम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नियोजक तथा कमयचारी दोनों के पीएफ अंशदान को मौजूदा **12%** से घटाकर **10%** कर दिया गया है **I** यह उन सभी संस्थानों के लिए अगले **3** माह अर्थात सितंबर **2020** तक है जो ई पी एफ ओ द्वारा कवर होते हैं**I**
- अक्टूबर **2020** तक टीसीएस का स्थगन
- **5** करोड़ रुपए तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना **3** माह तक रिटर्न फाइल करना स्थगित किया गया और शेष के लिए **9%** के दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है **I**
- केंद्र सरकार ने व्यवसाय की निरंतरता और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कोविड**-19** संकट के मद्देनजर आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम तथा जी एस टी अधिनियम के अंतर्गत अलग-अलग अवधि के लिए विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं से छूट भी दी है **I**

*****

अनुबंध **II**

कोविड-19 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों के जाने के संबंध में दिनांक 15.09.2020 के राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं**. 313** के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

पर्यटन क्षेत्र में कोविड**-19** के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं**:**

(I) कोविड**-19** सुरक्षा तथा स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करने प्रशिक्षण और दिशा निर्देशों के अनुपालन के आकलन के लिए विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं **।** इस कार्यक्रम का लक्ष्य आतिथ्य उद्योग विशेष रूप से छोटी तथा मझौली इकाइयों को बहाल होने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता देने के लिए क्षमता निर्माण करना है **।**

(II) सभी अवर्गीकृत आवास इकाइयों के समन्वयन और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए देशभर में विभिन्न आवास इकाइयों की एक सुदृढ़ सूचना प्रणाली/व्यापक डाटाबेस तैयार किया गया है **।**

(III) होटलो**,** रेस्तरां**,** बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे तथा पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें तैयार की गई है और व्यवसाय की निर्बाध बहाली सुनिश्चित करने के लिए **8** जून**, 2020** को जारी की गई है **।**

(IV) ऐसे होटलों तथा अन्य आवास इकाइयों जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनःअनुमोदन तथा वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है उनकी अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता अवधि को **30** सितंबर **2020** तक के लिए बढ़ा दिया गया है **।**

(V) मंत्रालय ने क्यू सीआई के सहयोग से होटलों**,** रेस्तरां**,** बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड**-19** तथा उसके पश्चात की स्थिति में जारी दिशा निर्देशों/एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए साथी **(**सिस्टम फॉर एसेसमेंट**,** अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री**)** नामक एक पहल की है **।**

*****